लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3667

17 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

रेशम बोर्ड में रिक्त पद

3667. डॉ. सी. एन. मंजूनाथ:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि केंद्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी) के अध्यक्ष का पद अगस्त 2019 से रिक्त है;

(ख) सीएसबी के सुचारू और प्रभावी कामकाज के लिए सरकार द्वारा इस रिक्त पद को कब तक भरा जाएगा;

(ग) क्या सरकार को ज्ञात है कि बड़ी मात्रा में घरेलू रेशम अपशिष्ट चीन को निर्यात किया जा रहा है और मूल्यवर्धित उत्पाद ऊंची कीमतों पर भारत वापस आ रहे हैं;

(घ) क्या सरकार अनुचित व्यापार प्रथाओं का मुकाबला करने के लिए देश के उचित स्थानों पर कुछ रेशम कताई मिलें स्थापित करने की योजना बना रही है;

(ङ) क्या सरकार का एनएसएसओ की देखरेख में बुनियादी बीज (पी1) का उत्पादन बढ़ाने के लिए गैर-सरकारी एजेंसियों को अनुमति देने का प्रस्ताव है; और

(च) क्या शहतूत की खेती वाले क्षेत्र को विशेष रेशम उत्पादन क्षेत्र घोषित करने का कोई प्रस्ताव है, क्योंकि रेशम उत्पादन में गिरावट आ रही है और इससे ऐसी भूमि के अधिग्रहण को रोका जा सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वस्त्र राज्य मंत्री

(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क) और (ख): सीएसबी अधिनियमों और नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत, सरकार समय-समय पर केंद्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी) के अध्यक्ष के पद सहित सभी रिक्त पदों को भरने के लिए उचित कार्रवाई करती है।

(ग): देश में होने वाले रेशम अपशिष्ट को चीन तथा अन्य देशों जैसे आस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी आदि देशों को निर्यात किया जाता है। आयात किया जाने वाला प्रमुख रेशम उत्पाद कच्ची रेशम है ना कि रेशम अपशिष्ट से बने मूल्यवर्धित उत्पाद।

(घ): वर्तमान में, घरेलू रेशम अपशिष्ट को रेशम उत्पादों में परिवर्तित करने के लिए असम, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 33,920 स्पिंडल क्षमता वाली 15 स्पन सिल्क इकाइयां स्थापित की गई हैं।

(ङ) और (च): ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

***